7

कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना (म0प्र0)

Email ID- dcourtpan-mp@nic.in

–:: विविध आदेश ::–

क्रमांक– P-49 /कोरोना वायरस (बण्डल)2020 पन्ना, दिनांक 02.05.2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक क्यू/5, दिनांक 25 मार्च, 2020 के अनुसार कोरोना वायरस के विश्वव्यापी महामारी के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से समस्त न्यायिक जिलों में दिनांक 25.03.2020 से 14.04.2020 तक की अवधि के लिये "No Court work" के निर्देश दिये गये थे। मान्नीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिनांक 14.04.2020 को लॉकडाउन अवधि को बढ़ाये जाने की उदघोषणा को दृष्टिगत मान्नीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा परिपत्र कमांक क्यू–6, दिनांक 14.04.2020 के द्वारा पूर्व प्रेषित परिपत्र क्यू–5 दिनांक 25.03.2020 में निहित निर्देशों के अनुसार न्यायालय द्वारा किये जाने वाली कार्यवाहियों की अवधि को दिनांक 03.05.2020 तक विस्तारित किया गया था। पुनः केन्द्र सरकार द्वारा लाकडाउन की अवधि को दिनांक 17.05.2020 तक तीसरे चरण में विस्तारित किया गया है जिसको दृष्टिगत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा परिपत्र क. 11 दिनांक 02.05.2020 के द्वारा पूर्व प्रेषित परिपत्र क्यू–5 दिनांक 25.03.2020 एवं परिपत्र क. 6 दिनांक 14.04.2020 में निहित निर्देशों के अनुसार न्यायालय द्वारा किये जाने वाली कार्यवाहियों की अवधि को दिनांक 17.05.2020 तक विस्तारित किया गया है। अतः दिनांक 04.05.2020 से 17.05.2020 तक की अवधि में Utmost/importance/urgency कार्य, जमानत आवेदन, रिमाण्ड कार्यवाही तथा धारा–164 दं0प्र0सं0 के कथन सम्पादित किये जाने हेतु न्यायाधीशगण/कर्मचारीगण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

उक्त निर्देश के परिपालन में मैं, प्रेम नारायण सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना (म0प्र0) दिनांक 04.05.2020 से 15.05.2020 तक की अवधि के लिये "No Court work" की स्थिति में Utmost/importance/urgency कार्य, जमानत आवेदन, रिमाण्ड कार्यवाही, सुपुर्दगी आवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत एवं अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के आदेश में उक्त कार्य सम्पादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक अधिकारियों की व्यवस्था करता हूँ :–

क्रमांक	दिनांक	ए0डी0जे0
01.	04.05.2020, 09.05.2020, 14.05.2020,	श्री अनुराग द्विवेदी, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना (म0प्र0)

Scanned with CamScanner

02.	05.05.2020, 11.05.2020, 15.05.2020,	श्री मनोज कुमार तिवारी, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना (म0प्र0)
03.	6.05.2020, 12.05.2020,	श्री कमल जोशी, विशेष न्यायाधीश(एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट), पन्ना (म0प्र0)
04.	8.05.2020, 13.05.2020	कु0 समीक्षा सिंह, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना (म0प्र0)

क्रमांक	दिनांक	मजिस्ट्रेट
01.	4.05.2020, 11.05.2020, 14.05.2020,	श्री अतुल राज भलावी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, पन्ना (म0प्र0)
02.	5.05.2020, 8.05.2020, 12.05.2020, 15.05.2020,	श्री प्रियंक भारद्वाज, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, पन्ना (म0प्र0)
03.	6.04.2020, 9.05.2020 13.04. 2020,	श्रीमती वंदना सिंह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, पन्ना (म0प्र0)

तहसील मुख्यालय

क्र.	दिनांक	स्थान	न्यायाधीश
01.	समस्त ऊपर वर्णित दिनांकों में।	पवई	श्री आर0के0रावतकर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पवई, जिला पन्ना (म0प्र0)
02.	समस्त ऊपर वर्णित दिनांकों में।	पवई	श्री आशीष कुमार केशरवानी, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, पवई, जिला पन्ना (म0प्र0)
03.	समस्त ऊपर वर्णित दिनांकों में।	अजयगढ़	श्री अरविंद कुमार बरला, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, अजयगढ़, जिला पन्ना (म0प्र0)

यह भी आदेशित किया जाता है, कि उक्त नामांकित अधिकारीगण इस अवधि में दोपहर 03:00 बजे से सायं 05:00 बजे के मध्य अपने न्यायालयों / आवास कार्यालय पर स्टॉफ सहित उपर्युक्त वर्णित कार्य सम्पादित करेंगे।

नोटः–

01. पूर्व से घोषित सार्वजनिक अवकाश की तिथियों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये

Scanned with CamScanner

आदेश के कम में संबंधित मजिस्ट्रेट अत्यावश्यक एवं रिमाण्ड ड्यूटी से संबंधित कार्य करेंगे।

02. उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाहियो माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी गाइडलाइन दिनांक 15.04.2020 ज्ञापन **Reg(IT)(SA)/2020/Q** दिनांक 20.04.2020 के पालन में इस कार्यालय द्वारा जारी विविध आदेश क. पी.33 दिनांक 20.04.2020 के अनुसार ही वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ही निष्पादित की जावेगी तथा उक्त आदेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन आवश्यक रूप से किया जावेगा। किन्हीं कारणों से उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाहियॉ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पादित न होने की स्थिति में कार्यवाहियों के दौरान **Social Distancing** का पालन अनिवार्य रूप से किया जावेगा। कोर्ट रूम में डायस से 6 फिट का Distance Maintain किया जावेगा। उक्त कक्ष में प्रवेश अथवा न्यायालय कक्ष में प्रवेश एक के बाद एक कम से होगा। पक्षकार/अधिवक्तागण/पुलिस कर्मी या अन्य किसी व्यक्ति का बिना मास्क (चेहरा कवर किये बिना) न्यायालय परिसर एवं कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा। संबंधित अधिवक्तागण/पक्षकार/कर्मचारी का कोर्ट रूम में भी कार्यवाही के दौरान मास्क लगाये रखना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक कर्मचारी अपने पास सेनेटाईजर रखेगा, जिससे कि फाइलों के आदान–प्रदान होने के उपरांत सेनेटाईजर का प्रयोग कर संक्रमण से बचा जा सके।

03. रिमाण्ड कार्यवाही अथवा विचारण के दौरान अभियुक्त को जेल अभिरक्षा में भेजे जाने के समय उसकी मेडिकल जांच करायी जावेगी एवं रिपोर्ट आने के बाद ही उसे जेल भेजा जावेगा। यदि रिपोर्ट आने में किसी कारण से विलम्ब होता है तो अभिुक्त को रिपोर्ट आने तक संबंधित जेल में अलग कोरनटाईन में रखा जावेगा।

04. उपरोक्त अधिकारियों में से किसी न्यायिक अधिकारी के अपरिहार्य परिस्थितियों/चिकित्सकीय परिस्थितियों के कारण अनुपस्थित् रहने पर उसके अग्रिम कम का अधिकारी उनके स्थान पर कार्य करेगा। इस संबंध में पुनः यह निर्दिष्ट किया जाता है, कि इस दौरान न्यायालय का कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी यदि मुख्यालय में ही रहेंगे तथा अपने–अपने मोबाईल एक्टिव मोड पर रखते हुये अपनी मोबाईल लोकेशन चालू रखें।

उक्त निर्देशों की उल्लंघन की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर के उपरोक्त आदेश क्यू–05 दिनांक 25 मार्च, 2020 की कण्डिका–09 के परिपालन में उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

2-5-2020

(प्रेम नारायण सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पन्ना (म0प्र0)

Scanned with CamScanner

पृष्ठांकन क्रमांक– P-49 /2020 पन्ना, दिनांक– 02 मई, 2020

प्रतिलिपिः–

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर को आदेशानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

02. श्रीमान् विशेष न्यायाधीश/कुटुम्ब न्यायाधीश/प्रथम/द्वितीय/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवई,

03. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक पन्ना/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक पवई,

04. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत/मालखाना/प्रतिलिपि/सांख्यिकी/लेखा/ग्रंथालय/कम्प्यूटर अनुभाग पन्ना/पवई/अजयगढ़,

05. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो पन्ना/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो पवई/अजयगढ़

06. समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण पन्ना,

07. जिला कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

08. पुलिस अधीक्षक, पन्ना की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित, कि सभी संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करें।

09. प्रस्तुतकार, श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना,

10. अध्यक्ष, कर्मचारी संघ, पन्ना, की ओर समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को अवगत कराये जाने हेतु सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

11. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, पन्ना/पवई/अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

12. जिला जन संपर्क अधिकारी पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सूचना स्थानीय समाचार–पत्र एवं स्थानीय टी0व्ही0 चैनलों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

13. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/जिला नाजिर पन्ना की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

14. सिस्टम ऑफीसर/सिस्टम असिस्टेंट पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है, कि उक्त सूचना सभी न्यायाधीशगण/समस्त कर्मचारीगण की ई–मेल आई0डी0/व्हॉट्स एप नंबर पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

15. जेल अधीक्षक पन्ना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16. जेल अधीक्षक सतना एवं छतरपुर को जेल अधीक्षक पन्ना के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

17. जिला नाजिर पन्ना/नायब नाजिर पवई/अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं न्यायालयीन प्रवेश द्वार पर आदेश की प्रति लगाने तथा के निर्देश के साथ पालनार्थ प्रेषित।

2-5-2020

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

पन्ना (म0प्र0)

Scanned with CamScanner